न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./83/2025/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
जोधाराम पुत्र स्वर्गीय केसराराम, कौम जाट, निवासी मीठी बेरी, तह. गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	1. भोमाराम पुत्र श्री जोधाराम 2. जेताराम पुत्र श्री जोधाराम 3. श्रीमती पेमीदेवी पत्नी जोधाराम 4. श्रीमती वीरो पुत्री जोधाराम, कौम जाट, निवासी मीठी बेरी, तह. गुडामालानी, जिला बाड़मेर। 5. शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई. बैंक, गुडामालानी, जिला बाड़मेर। 6. तहसीलदार एवं उप पंजीयक गुडामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/2019 बउनवान भोमाराम वगैरा बनाम जोधा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भजनलाल गोदारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—29.07.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता संख्या 01 व 02 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक आराजी के खेत ग्राम मीठी बेरी, तह. गुडामालानी के खसरा संख्या 116/1 रकबा 19.08 बीघा, किस्म बारानी सोयम एवं मौजा राजनगर के खसरा संख्या 44/2 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट/प्रतिवादी व रेस्पोडेन्ट/वादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त पैतृक आराजी है जिसमें हम चारों का 1/4, 1/4 हिस्सा खातेदारी का बनता है उक्त हिस्से से बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस् बंटवारा के जरीये जुदा करने का अनुतोष चाहा। क्योंकि रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण बिना विधिक बंटवारा करवाये ही हस्तगत प्रकरण की आराजी को किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर खुर्द—बुर्द करना चाह रहे थे। उक्त वाद पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को बिना विधिक तामील करवाये ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया। उक्तानुसार अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर बहस के दौरान निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा का वाद प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक आराजी के खेत ग्राम मीठी बेरी, तह. गुडामालानी के खसरा संख्या 116/1 रकबा 19.08 बीघा, किस्म बारानी सोयम एवं मौजा राजनगर के खसरा संख्या 44/2 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी सोयम का अपने हिस्से से बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस् बंटवारा के जरीये जुदा करने का अनुतोष चाहा गया था। जिस पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। क्योंकि अपीलांट/प्रतिवादीगण एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02/वादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। वर्तमान में उभयपक्षकारान का लोकअदालत की भावना से मौजिज लोगों की समझाइस/उपस्थिति में राजीनामा हो गया है। अतः उभयपक्षकारान सहमति से हस्तगत प्रकरण को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई के समुचित अवसर हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करवाना चाहते हैं। अतः मेरे प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर पत्रावली को रिमाण्ड करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील रेस्पोडेन्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वयं द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा को स्वीकार करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण के उभपक्षकारान के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। जरिये राजीनामा उभयपक्षकारान प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य, सुनवाई के समुचित अवसर हेतु रिमाण्ड कराना चाह रहे हैं।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

चूंकि हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से भी यह तथ्य प्रकट होते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस की बिना विधिक तामीली के ही अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों एवं पक्षकारों के आपसी राजीनामें अनुसार अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/2019 बउनवान भोमाराम वगैरा बनाम जोधा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय 90 दिवस में पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

29/7/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर